रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 909] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 9, 2018/फाल्गुन 18, 1939
No. 909] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 2018/PHALGUNA 18, 1939

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2018

विषय : 23 अगस्त**, 2017 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अनुसूची का.आ. खंड (अ) में शामिल उत्पादों के लिए "इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी माल (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकता) आदेश, 2012" के कार्यान्वयन से संबंधित।**

का.आ. 1025(अ).—जबकि, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के खण्ड 10 (1) (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और भारतीय मानक ब्यूरो नियमावली, 1987 के नियम 13 के खण्ड (च क) के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने 23 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. 2742(अ) के द्वारा "इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी वस्तु (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2012" की अनुसूची में 13 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों को शामिल किया था । इस आदेश के लागू होने की तारीख 23 फरवरी, 2018 थी। और जबकि इस आदेश के निर्वाध कार्यान्वयन के लिए पाणधारकों के साथ इससे उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है और जबकि, उद्योग ने आदेश के अनुपालन के लिए अधिक समय मांगा है, अत: एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि इस आदेश के कार्यान्वयन की तारीख को निम्नलिखित चुनिन्दा उत्पादों के लिए 23 मई, 2018 तक विस्तारित माना जाए।

नोट : प्रधान आदेश को भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 के का.आ. संख्या 2357(अ) के जरिए प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसमें दिनांक 5 जुलाई, 2013 के का.आ. 2034(अ), दिनांक 4 अक्तूबर, 2013 के का.आ. 3022(अ), 13 नवम्बर, 2014 के का.आ. 2905(अ), दिनांक 3 फरवरी, 2016 के का.आ. 345(अ),

दिनांक 10 फरवरी, 2016 के का.आ. 638(अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3509(अ) और दिनांक 23 सितम्बर, 2017 के का. आ. 2742(अ) के द्वारा संशोधन किया गया था ।

[फा. सं. 37(6)/2016-आईपीएचडब्ल्यू]

संजय कुमार राकेश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February 2018

Subject : Concerning implementation of "Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012" for products included in the schedule S.O. 2742(E) published in Gazette of India on 23 August 2017

S.O. 1025(E).—Whereas, in exercise of the power conferred by clause 10(1)(p) of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) and in pursuance of clause (fa) of the Rule 13 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987 the Central Government, had included thirteen electronics and information technology products to the Schedule of the "Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012" *vide* S.O. 2742(E) published in Gazette of India on 23 August 2017. The date of coming into effect of this Order was 23 February 2018. And, whereas, the issues involved have been discussed with the stakeholders for smooth implementation of the Order and whereas, the industry has sought more time for compliance of the Order, it is hereby notified that the date of implementation of the Order stands extended to 23 May 2018.

Note : The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O number 2357(E), dated 3rd October, 2012 and subsequently amended vide S.O. 2034(E) dated 5th July, 2013, S.O. 3022(E) dated 4th October, 2013, S.O. 2905(E) dated 13th November, 2014, S.O. 345(E) dated 3rd February, 2016, S.O. 638(E) dated 10th February, 2016, S.O. 3509(E) dated 24th October, 2016 and S.O. 2742(E) dated 23 August, 2017.

[F. No. 37(6)/2016-IPHW]

SANJAY KUMAR RAKESH, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.03.12 20:17:56 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.